बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 COURT FEE INDIA

(54)

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. /2014 निगरानी निगरानी 187-III-15

नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल,
आयु 37 वर्ष, निवासी—वार्ड क्रं. 12, चंदिया,
जिला— उमरिया (म0 प्र0)

— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नि श्री गणेश अग्रवाल, आयु— 50 निवासी — वार्ड क्रं. 11, चंदिया, जिला — उमरिया (म0 प्र0)

2. म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला—उमरिया

— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.06.2011 एवं 04.06.2011 प्रकरण क्रमांक 01 /A3 /2010-11 मे पारित, द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील — चंदिया, जिला—उमरिया

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-187-तीन/2015 जिला उमरिया नीलेश विरूद्ध सुनीता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक नीलेश की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप के. श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील चंदिया, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 01/A-3/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-01-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता	

21.12.18

है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य